हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस. जे. ई .–बी–बी (1)–3 / 2017 तारीख शिमला–2, 6 –4– 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लेखाकार – एवं –लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लेखाकार – एवं –लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लेखाकार – एवं –लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1 पद का नामः	लेखाकार – एवं –लिपिक
2. पद (पदों) की संख्याः	01 (एक)
3. वर्गीकरणः	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः पे बैण्ड 5910–20200 रूपये जमा 1900/रूपये ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/–रूपए प्रतिमास ।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः	लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं:	(क) अनिवार्य अर्हता (एं): (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) कम्पयूटर पर अग्रेजी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। (iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथा विहित कम्पयूटर में 'शब्द प्रसंस्करण' का ज्ञान होना चाहिए। (ख) वॉछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विषिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगा:	लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं। (ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13 .भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–। में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संल्गन परिशिष्ट'–। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः– (I) संकल्पनाः (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लेखाकार एवं लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेष कर्मचारी चयन आयोग,हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः
निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः
संविदा के आधार पर नियुक्त लेखाकार एवं लिपिक को 7810/—रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/—रूपए (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुषासन प्राधिकारीः

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग,अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन तथा लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः
अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–।। के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810 / –रूपए प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड

के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 234/–रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए

भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्त अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेषा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचिता किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डरर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन

वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारो पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों केकिसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट–I

वर्ग–III के पदों के लिए

लिखित परीक्षा

{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक

अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः– 15 अंक

i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक
{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुंणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 ग 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे }।

ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक

iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक

iv) इस प्रभाव का गैर– नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक

v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक

vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक

vii) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक

viii) विधवा/तलक शुदा/अंकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक

ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक

x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से_आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक

xi) सरकारी /अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक

लेखाकार–एवं–लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के म निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण,विभाग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लेखाकार–एवं–लिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार लेखाकार–एवं–लिपिक के रूप में .... से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/–रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर

नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान,गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में,, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण—पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-B-B(1)-3/2017, dated: 06-04- 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-B-B(1)-3/2017 dated: Shimla-02 the 06-04-2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Accountant-cum-Clerk, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Accountant-cum-Clerk, Class- III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Addl. Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ACCOUNTANT-CUM-CLERK, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

1. Name of the post	Accountant-cum-Clerk
2. Number of post(s)	01 (One)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted).
4. Scale of pay	i) Pay Band Rs. 5910-20200/- + Rs.1900/- Grade Pay iii) Emoluments for contract employee:- Rs. 7810/-P.M. as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether "Selection" post or non-selection post.	Not applicable
6. Age of direct recruitment	18 to 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe / Other Backward Classes and Other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector, Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note:- Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is are advertised for inviting or applications onotified to the employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) Essential Qualification(s):- i) Must have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education. ii) Must possess a minimum speed of 30 words per minute in English typing or 25 words per minute in Hindi typing on Computer. iii) Should have the knowledge of 'Word Processing' in Computer as may be prescribed by the Recruiting Authority. (b) DESIRABLE QUALIFICATION:- Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9. Period of Probation if any	a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. b) No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade for which promotion/secondment/ transfer is to be made:	Not applicable

12. If a Departmental promotion/ Conformation Committee exists, what is its Composition?	(a) Departmental Promotion Committee: Not applicable. (b) Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below- (I) CONCEPT (a) Under this policy the Accountant-cum-Clerk Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis: Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:

The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contact basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) COTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Accountant-cum-Clerk appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs.7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234/-(3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of

	contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribal/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination	Not applicable.
18. Powers to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

APPENDIX-I

WRITTEN TEST

{Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks} 85 Marks

Evaluation of candidate to be made in the following manner: 15 Marks

i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules.

{ Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} 2.5 Marks

ii) Belonging to notified Backward area or Panchayat, as the case may be. 01 Mark

iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. 01 Mark

iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. 01 Mark

v) Differently abled persons with more than 40% pairment/disability/infirmity. 01 Mark

vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guid/Medal winner in National Level sports competitions. 01 Mark

vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. 02 Mark

viii) Widow/Divorced/Destitute/Single women. 01 Mark

ix) Single daughter/Orphan. 01 Mark

x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. 01 Mark

xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relation to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). 2.5 Marks

APPENDIX-II

Form of Contract/agreement to be executed between the Accountant-cum-Clerk, Class-III, (Non-Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh, through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P :-

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------S/O/D/O Sh.-----------------R/O --- Contract appointee (here in after called the(FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, SCs, OBCs & Minority Affairs of H.P(here -in -after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Accountant-cum-Clerk, Class-III, (Non-Gazetted)on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Accountant-cum-Clerk, Class-III, (Non-Gazetted) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of ---------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- And information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day’s casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

   Provided that un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence for the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the

circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9 The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNEES the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. --

(SIGNATURE OF FIRST PARTY) (Name and full address)

2. --

(Name and full address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. --

(Name and full address)

(Signature of SECOND PARTY)

2. ---

-- (Name and full address)